हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 हेतु

(पत्नी की ओर से)

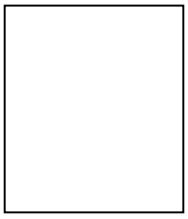

-: शपथ पत्र:-

(**हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 हेतु** के परिपालन में प्रस्तुत)

मै शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि:-

मेरा नाम:-

पिता का नाम:-

माता का नामः-

जन्मतिथि :- आवेदन दिनांक को आयु

व्यवसाय:-

जाति:-

स्थायी पता:-

1 यह कि मै भारत का नागरिक हूॅ। पूर्व में मेरी किसी अन्य देश की नागरिकता नहीं रही है वर्तमान में विवाहित हूॅ।

2.मेरा विवाह दिनांक ..... को ..... रिती रिवाज एंव अनुष्ठानों के माध्यम से दोनो पक्षकारों की सहमति से श्री.....पिता..... माता.....स्थायीपता..... स्थानीय पता ..... के साथ हर्षोल्लास से सम्पन्न हुआ था। प्रमाण स्वरुप विवाह छायाचित्र प्रस्तुत किये गये है

3.यह कि मैं एंव द्वितीय पक्षकार श्री ....जिला ..... के समक्ष विवाह प्राधिकारी जिला इन्दौर म0प्र0 के क्षेत्राधिकार के भीतर विवाह पंजीयन आवेदन की दिनांक से 30 दिवस पूर्व की कालावधि तक इन्दौर मैं निवासरत रही हूॅ।

4.यह कि हम दोनों विवाह दिनांक से ही बराबर पति-पत्नी के रूप में नियमित रूप से साथ में रह रहे है।

5.यह कि विवाह के समय में वयस्क था तथा 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुकी थी 6.यह कि हम दोनों पक्षकारों के मध्य हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 में वर्णित अनुसार प्रतिषिद्ध कोटि की नातेदारी नहीं है।

7.यह कि विवाह के समय इस विवाह के अनुष्ठापन के लिए मेरी एंव द्वितीय पक्षकार की पूर्ण रूपेण राजी मर्जी एंव सहमति थी। साथ ही यह कि मेरे विवाह अनुष्ठापन के संबंध में मेरे पिता एवं परिजनों को किसी प्रकार कि आपत्ति नहीं है।

8.यह कि विवाह के समय एंव विवाह पंजीयन का आवेदन प्रस्तुत करते समय मै शारीरिक तथा मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ हूॅ एंव सोचने समझने की पूर्ण शक्ति रखती हूॅ। मैं विधिमान्य सम्मति देने में समर्थ होने के साथ साथ इस प्रकार के या इस हद तक मानसिक विकार से पीडित नहीं रहा हूॅ

9.यह कि मेरे विरूद्ध किसी प्रकार का आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध नहीं है ।

10.यह कि इस विवाह से हमारी .....संताने है, जिनके नाम एंव आयु इस प्रकार है:-

11. यह कि हम दोनों पक्षकारों द्वारा भारत मे किसी भी अधिनियम अथवा किसी अन्य विधि के अन्तर्गत इन्दौर अथवा किसी अन्य स्थान पर पूर्व में विवाह पंजीयन नहीं कराया गया है।

12.यह कि मै भारत का नागरिक हूँ और नगर /ग्राम में .....दिनों /वर्षो से निवास कर रही हूँ ।

13.यह कि मेरे और श्री.....के बीच हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 हेतु में वर्गीकृत किसी प्रकार की प्रतिषिद्ध कोटि की नातेदारी नहीं है ।

14.यह कि मै चित विकृति के परिणाम स्वरूप विधिमान्य सम्मति देने में असमर्थ नहीं हूँ।

15. यह कि यह मेरा प्रथम विवाह है । मेरे द्वारा विवाहों के अनुष्ठान संबंधी किसी अन्य प्रवृत विधि /परंपरा के अन्तर्गत पूर्व में कोई विवाह अनुष्ठापित नहीं किया गयी है।

16. यह कि मै द्वितीय पक्षकार कु0.....को साक्षियों की उपस्थिति में अपना विधिपूर्ण जीवन साथी (पत्नी/पति) स्वीकार करने के लिए पूर्णतः सहमत एंव तत्पर हूँ ।

17. यह कि विवाह पूर्व विधवा/तलाक शुदा होने की स्थिति में मृत्यु प्रमाणपत्र सक्षम न्यायालय की डिक्री प्रस्तुत कर रही है ।

18. यह कि मै पूर्णतः स्वस्थ, वयस्क एंव निर्णय लेने में समर्थ होकर पूरे होषो हवास में यह शपथ पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ। शपथ पत्र में मेरे द्वारा वर्णित प्रत्येक जानकारी एंव तथ्य पूर्णतः सत्य है ।शपथ पत्र में किसी भी प्रकार की मिथ्या घोषणा प्रमाणित होने पर मैं हिन्दू विवाह

अधिनियम 1955 हेतु एंव भारतीय दंड दंडिता के प्रासंगिक प्रावधानों के अन्तर्गत दंड का भागी होउगी ।

इन्दौर, दिनांक:-

शपथग्रहिता

सत्यापन लेख

उपरोक्त शपथ पत्र पैरा 1 से लगायत 18 तक का कुल कथन सत्य एंव सही है। इसमें कोई भी कथन न तो असत्य है ना ही छिपाया गया हे।

इन्दौर, दिनांक:-

शपथग्रहिता